न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 56 / 2017

समदर पुत्र शंकरराम जाति माली निवासी गुड़ा डहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, जरिये पिता शंकरलाल पुत्र ठण्डुराम जाति माली निवासी गुडा डहर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिए नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2017
न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम समदर
मु.न. 27 / 2017, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:—

1 .श्री अरविन्द सैनी एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 11.01.2018

उक्त अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 31.10.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम समदर मु.न. 27/2017 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि :— योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.10.2017 पत्रावली पर आई साक्ष्य पर बिना गौर किये ,बिना विवेचना किये एवं बिना माईण्ड अप्लाई किये पारित किया है, जो स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं खिलाफ पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार एक अजनबी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण कार्यवाही प्रकरण में प्रारम्भ की गई है, जोकि धारा 91 के प्रावधानो से विपरित है, इसलिए प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही आरम्भ से ही शुन्य थी। निर्णय में वर्णितानुसार भूमि खसरा नम्बर 1723 की भूमि पर वर्ष 2017 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है, उपरोक्त कथन सर्वथा

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

असत्य व झूठ है क्योकि उपरोक्त भूमि उपीलान्ट शंकर के पास पीढी रहवास के काम आती चली आ रही है, जिस पर अपीलान्ट शंकर का कब्जा है, समदर विगत 10–12 साल से विदेश मे रहता है, उसके नाम जो नोटिस दिया गया है, वह गलत है, इसलिए समदर के विपरित पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट शंकर एक काश्तकार है, इसी भूमि से सटकर अपीलान्ट शंकर की काश्त भूमि है, जिसमे अपीलान्ट शंकर ने रहवासी मकान बना रखे है, केवल मात्र सीमा का विवाद है, ऐसी स्थिति मे स्थाई चिन्ह से अपीलान्ट शंकर के रहवासी मकान किस खसरा नम्बर में है, यह नपती से ही सम्भव है, बिना नपती कल्पना के आधार पर जो नोटिस दिया गया है, वह किसी भी रूप में न्यायोचित नही है, अपीलान्ट शंकर ने योग्य अदालत में पेश जबाब में भी यह निवेदन किया गया था कि 2 पटवारी मय गिरदावर हल्का की टीम गठित करके स्थाई बिन्दु से नपती की जाती है तो अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही होना साबित हो जावेगा, उक्ताधार पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। विकल्प के बतौर स्थाई बिन्दु से आस–पास के खेतो की नपती से अपीलान्ट का अतिक्रमण माना जाता है कि अपीलान्ट शंकर की खातेदारी भूमि से जमीन लेकर विनियम के जरिये प्रकरण का निस्तारण किया जाना प्रार्थनीय है। विवादित भूमि के मौके पर फसल है, स्थाई बिन्दु से कोई नपती नही हुई है इसलिए भी यह नही कहा जा सकता है कि राजकीय बंजड भूमि पर कोई अतिक्रमण है, उक्तानुसार निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है, पुराने चिन्हो से मौके की नपती की जनी उचित है ताकि मौके की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। मौके पर अपीलान्ट के नाम से बिजली का कनेक्शन है, उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का स्वतः व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए है जिससे भी साबित करते है कि अपीलान्ट का पुराना व वैध कब्जा है। प्रकरण मे पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर मे प्रार्थी के विरोधी व्यक्तियो से मिलकर रिपोर्ट तैयार की है, अपीलान्ट का पुत्र समदर विगत 10–12 साल से विदेश रहता है, उक्तानुसार उसके विपरित झूठी कहनी तैयार की गई है, लेकिन ना तो अपीलान्ट शंकर के निवेदन के बाद कोई दुबारा रिपोर्ट मंगवाई गई है और ना ही रिपोर्ट पर पटवारी से जिरह का मौका अपीलान्ट को दिया गया है, उक्तानुसार बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना पारित किया गया निर्णय अवैध है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अगर अपीलान्ट का अतिक्रमण माना भी जाता है तो अपीलान्ट नियमानुसार सनद शुल्क व भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है, इसलिए राशि ली जाकर उक्त भूमि पर कब्जे को नियमन किया जाना

अति. जिला कलेक्टर
झालावाड़

प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 31.10.2017 उनवानी सरकार बनाम समदर मुकदमा नम्बर 27/2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक अजनबी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सम्पूर्ण कार्यवाही प्रकरण में प्रारम्भ की गई है, जोकि धारा 91 के प्रावधानो से विपरित है। अपीलांट का पीढियों से काफी पुराना कब्जा है, अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। मौके पर अपीलान्ट के नाम से बिजली का कनेक्शन है, उक्त कनेक्शन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट का स्वतः व कब्जा मानकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुए है जिससे भी साबित है कि अपीलान्ट का पुराना व वैध कब्जा है। । तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1923 कुल रकबा 0.07 हैक्टर किस्म बंजड में से रकबा 0.07 हैक्टर पर पत्थरों की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है ,जिसमें काई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 1923 कुल रकबा 0.07 हैक्टर किस्म बंजड में से रकबा 0.07 हैक्टर पर पत्थरों की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. आर.एक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध माना जा सके और ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा

वैध साबित हो । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधित त्रुटि प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश दिनांक 31.10.2017 मु0 नंबर 27/2017 उनवानी सरकार बनाम समदर यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू